संख्या–वे0आ0–2– 1270 / दस–2004–45(एम) / 99 टी.सी.

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 8 नवम्बर, 2004

विषयः–समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समयमान वेतनमान व्यवस्था के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान की अनुमन्यता के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–560 / दस–45(एम)–99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–4(1) तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1658 / दस–2001–45(एम) / 99, दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–1(3) में स्थिति स्पष्ट की गई है। विभिन्न सेवा संवर्गो के पुनर्गठन, सम्बन्धित पदों की सेवा शर्तो में संशोधन तथा कतिपय वेतनमानों के संविलयन / उच्चीकरण के फलस्वरुप समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों तथा कर्मचारी संगठनों द्वारा स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है।

2– इस सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–4(1) तथा शासनादेश दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर–1(3) में दी गई व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों एवं कर्मचारी संगठनों से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट करने का निदेश हुआ है :––

(1) संवर्गीय पुनर्गठन अथवा सेवा शर्तो में संशोधन के परिणामस्वरूप पदोन्नतीय पद की प्रास्थिति में परिवर्तन या वेतनमानों के संविलयन / उच्चीकरण से यदि किसी पद के पदोन्नतीय वेतनमान अथवा अगले वेतनमान में परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन ऐसे पद पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान भी तदनुसार ही अनुमन्य होगा।

(2) उपर्युक्त परिवर्तन / संशोधन के फलस्वरुप यदि किसी पद पर उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो जिन्हें पूर्व की व्यवस्थानुसार वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका है, उन्हें ऐसे परिवर्तन / संशोधन की तिथि से उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। तद्नुसार अनुमन्य उच्च वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन मूल नियम–22 के नीचे अंकित सम्परीक्षा अनुदेश–4 के अनुसार निर्धारित किया जायगा। वेतनमान में उपर्युक्त परिवर्तन / संशोधन की तिथि अथवा उसके बाद अर्ह कार्मिकों को वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान परिवर्तित / संशोधित व्यवस्थानुसार देय होगा और ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 के प्रस्तर–2(1) की व्यवस्थानुसार होगा।

(3) उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन के फलस्वरुप यदि किसी पद पर निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान की अनुमन्यता बनती है तो परिवर्तन/संशोधन की तिथि के पूर्व अर्ह कार्मिकों को अनुमन्य उच्चतर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान यथावत रहेगा किन्तु परिवर्तन/संशोधन की तिथि अथवा उसके पश्चात् अर्ह कार्मिकों को परिवर्तित स्थिति के अनुसार निम्न वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 तथा 03 सितम्बर, 2001 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें। इन शासनादेशों की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

मनजीत सिंह
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–1270(1)/दस–45(एम)/99 टी.सी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मा0 राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
(5) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय नवीन भवन, कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

आर0एस0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1270(2)/दस–45(एम)/99 टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

आर0एस0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–1270(3)/दस–45(एम)/99 टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

आर0एस0 सिंह
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 57 सा० वित्त—18-11-2004—(1654)—5,000 प्रतियां (आफसेट)।